न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश (द्रुतगामी न्यायालय–प्रथम), अम्बेडकरनगर।

सत्र परीक्षण संख्या–55/2013, कम्प्यूटर नं0–55/2013

सरकार——————————————————**प्रति**——————————————————प्रदीप कुमार गुप्ता।

मुकदमा अपराध संख्या–95/2012
धारा–498ए व 306 भारतीय दण्ड संहिता
थाना–जलालपुर, जनपद–अम्बेडकर नगर।

01.08.2024

(1). पत्रावली प्रार्थना पत्र–32ब अन्तर्गत धारा–216 दं0प्र0सं0 पर आदेशार्थ पेश हुई। वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) तथा प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस विगत नियत तिथि पर सुनी जा चुकी है।

(2). प्रार्थना पत्र 32ब अन्तर्गत धारा–216 दं0प्र0सं0 प्रार्थी/वादी मुकदमा अजय कुमार की ओर से पेश करते हुए यह अभिकथन कर तर्क दिया गया है कि उपरोक्त सत्र परीक्षण में प्रार्थी वादी मुकदमा है और इस मुकदमे की मृतका प्रार्थी की सगी बहन थी। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थाना स्थानीय में अन्तर्गत धारा–498ए, 304बी भा0द0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित हुई जिसके विवेचक द्वारा विवेचना के उपरांत अन्तर्गत धारा–498ए, 306 भा0द0सं0 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। पी0डब्लू01–अजय कुमार व पी0डब्लू06–मनोज कुमार साहू की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा से यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु विवाह से 07 साल के अन्दर हुई है जिसका साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। उपरोक्त सत्र परीक्षण में विरचित आरोप अन्तर्गत धारा–306 भा0द0सं0 को अन्तर्गत धारा–498ए व 3/4 डी0पी0 एक्ट में परिवर्तित किया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उपरोक्त सत्र परीक्षण में विरचित आरोप अन्तर्गत धारा–306 भा0द0सं0 को अन्तर्गत धारा–498ए व 3/4 डी0पी0 एक्ट में परिवर्तित करने का आदेश पारित करने की कृपा की जावे।

(3). प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित आपत्ति 35ब प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया गया है कि पी0डब्लू01 व पी0डब्लू06 ने शादी के संबंध में बिल्कुल झूठा कथन न्यायालय के समक्ष किया है कि उनकी बहन की शादी सन् 2005 में हुई थी, जबकि इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य इलेक्ट्रानिक साक्ष्य, फोटोग्राफ, वीडियो क्लिप आदि दाखिल नहीं किया गया है। उक्त दोनों साक्षियों ने शादी में विडियो रिकार्डिंग होने की बात स्वीकार किया हैं। ऐसे में मात्र मौखिक कथन के आधार पर, जो कि हितबद्ध साक्षी हैं, शादी की तारीख 21.05.2005 स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जबकि शादी की वास्तविक तारीख 21.05.2005 न होकर 21.05.2004 है और इस संबंध में प्रार्थी के पास विडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी भी है, जिस पर शादी की तारीख स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। उपरोक्त साक्षीगण के बयानों, विवेचक महोदय द्वारा शादी की कैसेट देखने के बाद लिखे उनके कथनों आदि से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि मृतका व अभियुक्त की शादी दिनांकः 21.05.2005 ई0 को हुई थी, जो कि सात वर्ष से अधिक का समय मृत्यु दिनांकः 21.04.2012 ई0 से व्यतीत हो चुका है। उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य व विडियो रिकार्डिंग के

Digitally signed by SUSHIL KUMAR
Date: 2024.08.01 16:45:28 WEST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

संबंध में विवेचक महोदय के कथन व प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ के आधार पर यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि पी0डब्लू01 व पी0डब्लू06 जो हितबद्ध साक्षी है, विश्वसनीय नहीं है तथा उक्त साक्षी चक्षुदर्शी साक्षी भी नहीं है और विरोधाभासी कथन किये हैं। अभी तक तमाम साक्षीगण का बयान/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष होना शेष है। विवेचक महोदय तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, जलालपुर (श्री हम्मीलाल वर्मा) का साक्ष्य होना अभी शेष है, जिन्होंने स्वयं शादी कैसेट को देखा है। शादी कैसेट जो कि जलालपुर के मालगृह में सुरक्षित रखा है, का न्यायालय के समक्ष आना शेष है। ऐसे में उक्त दोनों भाइयों के सुने सुनाये साक्ष्य के आधार पर आरोप परिवर्तित किया जाना न्याय संगत नहीं है।

(4). प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रस्तुत आपत्ति के समर्थन में यह भी अभिकथन कर तर्क दिया गया कि दहेज मृत्यु के लिए यह आवश्यक है कि मृतका से तत्काल पहले दहेज की मांग की गयी हो तथा दहेज के लिए उसे प्रताड़ना की गयी हो या उससे दहेज के लिए क्रूरता की गयी हो, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में मृतका से कोई भी प्रताड़ना की गयी हो ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, न ही किसी चक्षुदर्शी साक्षी ने प्रताड़ित करने की बात बतायी ही है। जिरह पी0डब्लू01'' उसके मृत्यु के तीन माह पहले मैंने मुल्जिमान की मांग पर 5000/—रूपया दिया था।'' अर्थात् पी0डब्लू0 1 के अनुसार मृत्यु के तीन माह पहले 5000/— रूपया दिया था। जबकि पी0डब्लू0 पृष्ठ—2 की 15वीं लाइन में कहते है कि ''मुल्जिमान हमसे कभी नहीं मांगते थे'' तथा पी0डब्लू01 पृष्ठ—6 की 16वीं लाइन से मेरी बहन प्रदीप के घर से कई बार आयी गयी। इस बीच मेरे बहन व प्रदीप के साथ मुधर रहे तथा पी0डब्लू01 पृष्ठ—8 पर 17वीं लाइन से मृत्यु के बाद मेरे बहन के हाथ में चूड़िया थीं, मेरी बहन जैसे आम दिन सिंगार करती थी, सजी धजी थी तथा आगे पृष्ठ—9 पर 7वीं लाइन से मृतका की मृत्यु के पूर्व मेरे खुद के व प्रदीप के संबंध में अच्छे नहीं थे। मेरी बहन की मृत्यु के पूर्व प्रदीप अपने दिमाग की दवा करवा रहे थे तथा पी0डब्लू01 ही पृष्ठ—9 की अन्तिम तीन लाइनों में कहते हैं कि जो भी पैसा देता था अपनी बहन को देते था। प्रदीप से मेरा कोई लेन—देन नहीं है। अभियुक्त प्रदीप या प्रदीप के घर के किसी भी व्यक्ति ने कोई भी दहेज रूपया पैसा आदि मृतका से कभी मांगा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है और वादी मुकदमा मृतका का भाई पी0डब्लू01 खुद स्वीकार कर रहा है कि प्रदीप से कभी लेन—देन नहीं हुआ, जो भी पैसा देता था अपनी बहन को देता था जिसका भी कोई साक्ष्य नहीं है तथा वह बहन व भाई के बीच का मामला था। मृतका से प्रदीप से या किसी ससुराली जन ने पैसा कब मांगा, ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा मृतका वादी मुकदमा के संबंध प्रदीप से कभी मधुर नहीं थे। मृतका रोज की तरह ही श्रृंगार की थी, सजी धजी थी आदि तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि वह क्रूरता के अधीन नहीं थी तथा पी0डब्लू01 व पी0डब्लू06 के अलावा अन्य सभी साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा पी0डब्लू01 व पी0डब्लू06 दोनों हितबद्ध साक्षी है तथा चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा दोनों आपस में सगे भाई है और दोनों की प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार से रंजिश है। रंजिशवश सत्य कथन माननीय न्यायालय के समक्ष न करे प्रार्थी को हैरान व परेशान करने की नियत से एक मनगढन्त कहानी प्रस्तुत कर रहे है। उपरोक्त तमाम तथ्यों के दृष्टिगत पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है जो

कि धारा–304बी भा0द0सं0 को आकर्षित करे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–216 दं0प्र0सं0 पेशबन्दी में प्रस्तुत किया गया है जो कि आधारहीन व बलहीन है और निरस्त होने योग्य है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विनम्रता पूर्वक विचार करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–216 दं0प्र0सं0 निरस्त करने की कृपा की जावे।

(5). उभय पक्ष के तर्कों तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के सम्यक परिशीलन से विदित है कि हस्तगत प्रकरण में वादी मुकदमा/अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र 32ब सारवान रूप से इस अभिकथन व तर्क सहित प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले की मृतका रीता की मृत्यु अभियुक्त प्रदीप कुमार गुप्ता के साथ उसके विवाह के 07 वर्ष के अन्दर हुई थी, इसलिए अभियुक्त के विरूद्ध धारा–306 भा0द0सं0 के अपराध को धारा–304बी भा0द0सं0 व धारा–3 सपठित 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में आरोप परिवर्तित किया जाए। जबकि इसके प्रतिकूल अभियुक्त की ओर से आपत्ति 35ब मय छविचित्र प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त प्रदीप गुप्ता का विवाह मृतका रीता के साथ संपन्न होने की तिथिः 21 मई, 2004 कही है। धारा–161 दं0प्र0सं0 के तहत अंकित कथनों में वादी मुकदमा ने अपनी बहन रीता की शादी उक्त कथन अंकित किये जाने की तिथिः 21.04.2012 से लगभग 6–7 वर्ष पूर्व होना अभिकथित किया है। इसी प्रकार धारा–161 दं0प्र0सं0 के तहत साक्षी वैजनाथ, विनय कुमार सिंह ने भी उक्त कथन अंकित किये जाने की तिथिः 21.04.2012 से लगभग 7 वर्ष पूर्व होना कहा है। अभियोजन साक्षी सं01–अजय कुमार हस्तगत प्रकरण का वादी मुकदमा एवं मृतका रीता का सगा भाई है। इस अभियोजन साक्षी अजय कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त प्रदीप कुमार गुप्ता से मृतका का विवाह आपराधिक घटना से लगभग 6–7 वर्ष पूर्व होना कहा है, परन्तु उक्त विवाह की कोई निश्चित तिथि अपने सम्पूर्ण मौखिक परिसाक्ष्य में नहीं बतायी है। इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्षी सं02–घनश्याम विश्वकर्मा, अभियोजन साक्षी सं03–शोभा सिंह व अभियोजन साक्षी सं04–राजेश कुमार सिंह ने मृतका से अभियुक्त का विवाह सम्पन्न होने की कोई तिथि या अवधि अभिकथित नहीं की है। अभियोजन साक्षी सं05–राम सहाय ने भी अपने मौखिक परिसाक्ष्य में अभियुक्त से मृतका का विवाह लगभग 7 वर्ष पूर्व होना कहा है, परन्तु इस साक्षी ने उक्त विवाह की कोई तिथि अभिकथित नहीं की है। अभियोजन साक्षी सं06–मनोज कुमार साहू मृतका का भाई है। इस अभियोजन साक्षी मनोज कुमार साहू ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त से मृतका का विवाह दिनांकः 21.05.2005 को होना तथा प्रतिपरीक्षा में भी दिनांकः 21.05.2005 को होना कहा है। अभियोजन पक्ष की ओर से मृतका व अभियुक्त का विवाह दिनांकः 21.05.2005 को संपन्न होने के संबंध में कोई प्रलेखीय साक्ष्य अथवा विवाह की विडियोग्राफी या छविचित्र प्रस्तुत नहीं किये हैं। अभियुक्त की ओर से आपत्ति 35ब के साथ मृतका व अभियुक्त विवाह के तिथि युक्त छविचित्र 06 अद्द प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें उक्त छविचित्र खींचे जाने की तिथिः 22.05.2004 दर्शित है। इन छविचित्रों के प्रतिकूल अभियोजन पक्ष की ओर से इन्हें खण्डित करने हेतु कोई प्रति–आपत्ति अथवा प्रलेखीय साक्ष्य या विवाह की विडियोग्राफी प्रस्तुत नहीं की गयी है। केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि हस्तगत प्रकरण के विवेचक द्वारा दिनांकः 24.04.2012 को विडियो कैसेट को अपने कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर देखने पर उसमें अभियुक्त प्रदीप कुमार गुप्ता व मृतका रीता के

विवाह की तिथिः 21.05.2004 दर्शित होना कहा गया है। यह स्पष्ट है कि उक्त अभिवर्णित विवाह दिनांकः 21.05.2004 को प्रारम्भ होकर वैवाहिक कार्यक्रम रात में सम्पन्न होने की दशा में विवाह के दिनांकः 21.05.2005 की मध्य रात्रि अथवा उसके पश्चात् छविचित्र खींचे जाने की दशा में छविचित्रों पर तिथिः 22.05.2004 ही उपलब्ध होगी। हस्तगत प्रकरण में मृतका रीता की मृत्यु कारित होने की तिथिः 21.04.2012 होना दर्शित किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा धारा–161 दं0प्र0सं0 के तहत अंकित कथनों एवं अपने मौखिक परिसाक्ष्य में अभियुक्त व मृतका के विवाह की कोई निश्चित तिथि अभिकथित न किये जाने के कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त व मृतका का विवाह उसकी मृत्यु की तिथिः 21.04.2012 से 07 वर्ष के अन्दर ही हुआ था। वहीं पर दूसरी ओर प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से अभियुक्त व मृतका के विवाह से संबधित पत्रावलित किये गये छविचित्रों के खण्डन में कोई छविचित्र या विडियोग्राफी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत न किये जाने के कारण भी अभियोजन पक्ष के इस अभिकथन व तर्क पर पर्याप्त विधिक बल नहीं मिलता है कि अभियुक्त व मृतका का विवाह मृतका की मृत्यु कारित होने के 07 वर्ष के अन्दर ही हुआ था।

(6). उक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यिक विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि वादी मुकदमा/अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा–216 दं0प्र0सं0 कागज सं0 32ब स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः वादी मुकदमा/अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आवेदन 32ब अन्तर्गत धारा–216 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांकः 13.08.2024 को पेश हो।

दिनांकः–01.08.2024

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, (त्वरित प्रथम)
अम्बेडकरनगर।

J.O. CODE-UP6480